

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2017 / 799

भोपाल, दिनांक 17-08-2017

आदेश

श्रीमती वर्षा सरोते, बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.), उप स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हाला (गुनेरी), जिला-अलीराजपुर का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला के अधीन किया जाता है।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित


(डॉ० जे.एल.मिश्रा)

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक / 03 / प.क. / स्थापना / 2017 / 800


भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग इन्दौर एवं जबलपुर, मध्यप्रदेश।

निरंतर.....2

5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर एवं मंडला, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि उपरोक्त बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें, कि स्थानांतरित कर्मचारी संविदा/परिवीक्षा अवधि में कार्यरत, निलंबित अथवा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाये तो उन्हें कार्यमुक्त ना करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें, जिससे उनके आदेश निरस्त किये जा सकें। पद रिक्त न होने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा, इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस हो जावेंगे। ऐसे प्रकरणों की सूचना भी 07 दिवस के अंदर संचालनालय को दी जावे। स्थानांतरित बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) को 07 दिवस में कार्यमुक्त करने के पूर्व लिखित में यह अवगत कराया जावे कि बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण उनकी वरिष्ठता स्थानांतरित जिले की जिला स्तरीय वरिष्ठता में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी। तत्पश्चात् सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एलपीसी) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर एवं मंडला, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. श्रीमती वर्षा सरोते, बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उनके स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित होने के उपरांत स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता प्रभावी मानी जावेगी।
9. आदेश नस्ती।


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2017/797

भोपाल, दिनांक 17-08-2017

आदेश

श्रीमती हाजी अनिशा शेख, महिला स्वास्थ्य अभ्यागिता (एल.एच.व्ही.), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नलखेड़ा, जिला-आगर-मालवा का स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर के अधीन किया जाता है।

आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(डॉ० जे.एल.मिश्रा)


संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.0 क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2017/798

भोपाल, दिनांक 17-08-2017

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग उज्जैन एवं भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आगर-मालवा एवं सीहोर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला कोषालय अधिकारी, आगर-मालवा एवं सीहोर, मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
8. श्रीमती हाजी अनिशा शेख, महिला स्वास्थ्य अभ्यागिता (एल.एच.व्ही.) जिला आगर-मालवा की ओर पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।



संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश